

हिन्दी पत्रकारिता में भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषा एवं भाषा संवादों का संक्षिप्त मूल्यांकन

डॉ अरविंदकुमार दीक्षित
प्राचार्य

श्री रामनारायण दीक्षित स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री विजयनगर
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सार—

शुरुआती दौर की हिन्दी पत्रकारिता की भाषा साहित्य की भाषा को ओढ़े हुए थी। ऐसे में हिन्दी पत्रकारिता साहित्य के बहुत करीब थी। जाहिर है इससे साहित्यकारों का ही जुड़ाव रहा होगा बल्कि हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालने से यह साफ हो जाता है। 30 मई सन् 1826 में प्रकाशित हिंदी के पहले पत्र “उदंत मार्तण्ड” के संपादक युगल किशोर शुक्ल से लेकर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, पंडित मदनमोहन मालवीय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, बाबू राव विष्णु पराड़कर, आचार्य शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी सहित सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो चर्चित साहित्यकार-रचनाकार रहे हैं। ये सभी अपने दौर में हिन्दी पत्रकारिता से जुड़े रहे और पत्रकारिता को एक सशक्त दिशा दी लेकिन समय के साथ ही हिंदी पत्रकारिता भी बदली है। संपादन, साहित्यकार से होते हुए पत्रकार के हाथों पहुँच गया और हिन्दी पत्रकारिता में हिन्दी भाषा की बिंदी अंग्रेजी बन गयी। हिन्दी पत्रकारिता ने आज तकनीकी विकास के साथ-साथ भाषायी विकास भी कर लिया है। हिन्दी का वर्चस्व बढ़ा है, जो पूरे प्रभाव में है। जहाँ धीरे-धीरे बदलाव के क्रम में पत्रकारिता से साहित्य और साहित्यकार दूर होते गये। वहीं भाषा में भी बदलाव आता गया। पत्रकारिता की साहित्यिक भाषा के स्थान पर सहज व सरल हिन्दी भाषा जो बोलचाल की भाषा रही है।

प्रस्तावना—

समाज में चेतना लाने के लिए पत्रकारिता की भाषा का परिष्कृत रूप होना अनिवार्य है। जन समाज की भाषा सुसंस्कृत, सभ्य एवं शालीनता वाली होनी चाहिए। उसमें गंभीरता हो व लोगों को प्रेरित करने वाली हो तभी उसकी सार्थकता है। जिस तरह का समाज है, वहाँ पर वैसी ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसमें देश काल के अनुसार भाषा का चयन किया जाता है। समय के साथ पत्रकारिता जैसे-जैसे संसाधन सम्पन्न और विस्तृत होती गयी आम जनमानस को प्रतिबिम्बित करने का दर्पण बन वर्तमान में लोकतन्त्र का चतुर्थ स्तम्भ कही जाने लगी। अब पत्रकारिता केवल शासन की नीतियों से जनता को अवगत कराने और जनता की समस्याओं से शासन को अवगत कराने का सेतु ही नहीं रही अपितु यह व्यक्तियों को समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा को दिशा देने का सशक्त माध्यम भी बन चुकी है। जन समस्याओं की तात्कालिक स्थलीय वस्तुस्थिति के चित्रण के अतिरिक्त शिक्षा, ज्ञान, शोध विज्ञान, धर्म, अर्थ, व्यापार, साहित्य, चिकित्सा, रक्षा, समाज, राज्य, और राजनीति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता का भिन्न रूपों में समावेश होता गया है।

पत्रकारिता और साहित्य की भाषा अलग होती है, पत्रकारिता की अच्छी भाषा वही है जिससे बात साफ़, सरल और सहज तरीके से लोगों तक पहुँच सके। साहित्य की भाषा के मामले में लेखक स्वतंत्र है क्योंकि यह उसकी

अपनी निजी कृति होती है, लेकिन मीडिया के लेखन में एक संस्थान की ओर से एक व्यापक जनसमुदाय को संबोधित किया जाता है। पत्रकार का उद्देश्य यही होता है कि उसकी बात लाखों लोगों तक पहुँच सके, वे उसे समझ सकें, भाषा के ज्ञान का प्रदर्शन करके की जगह पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता के अच्छे और सुंदर शब्द वही हैं जो पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं की समझ में आते हैं, वो नहीं जिन्हें पत्रकार निजी तौर पर अच्छे और सुंदर शब्दों में गिनता है। भाषा बहुत बारीक चीज़ है, जिसकी समझ आते-आते ही आती है, पत्रकारिता की भाषा में हमेशा सटीक और सरल होने के बीच द्वंद्व बना रहता है। हमेशा छोटे और स्पष्ट वाक्य लिखें, एक वाक्य में ढेर सारे विचार न डालें। सिर्फ़ जरूरी बात कहें और शब्दजाल न रचें। मसलन, विपक्षी सांसदों ने बहिर्गमन किया, यह कम लोगों की समझ में आएगा और विपक्षी सांसद उठकर चले गए ज्यादातर लोग समझेंगे, अब बोलचाल की भाषा के नाम पर कहेंगे कि पार्लियामेंट में पंगा हो गया तो सही नहीं होगा। पत्रकारिता की भाषा हमेशा बहुत मेहनत और सजगता से गढ़ी हुई भाषा होती है जिसका सिवाय अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के कोई और उद्देश्य नहीं होता।

सामाजिक ताना-बाना एक उलझनदार प्रक्रिया है परन्तु यह आम तौर पर साधारण ढंग से चलती रहती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानता है जिस के अनुसार वह अपने इर्द-गिर्द के लोगों के बीच चलता और व्यवहार करता है, परन्तु समाज का विकास और इसकी भीतरी उलझनें इतनी साधारण नहीं हैं जिन को आसानी के साथ समझा जा सके। मानवीय व्यवहार इस पर गहरा प्रभाव डालता है। सामाजिक ताने-बाने में से मानवीय व्यवहार को समझना सब से बड़ी समस्या है क्योंकि यह सामाजिक व्यवहार को दिशा और गति देता है। छोटे समूहों में सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत साधारण होती है। जैसे-जैसे यह समूह बड़े होते जाते हैं, इसकी स्थिति लगातार उलझनदार बनती जाती है। गांवों के लोगों की शहरों के मुकाबले सामाजिक स्थिति साधारण होती है। ये लोग एक समूह में गुजरते हैं। समूह में रहते लोगों के आपसी सम्बन्ध नजदीक के होते हैं। इस ग्राम व्यवहार की मुख्य विशेषता व्यक्तिगत सम्पर्क होती है जो इन सम्बन्धों को गहरा बनाती है। यह व्यवहार की रीति-रिवाजों, धर्म, जातिओं आदि सम्बन्धी धारणाओं को अपनाता है। व्यक्तिगत सम्बन्ध इस समस्त ताने-बाने की पालना कराते हैं। गांवों का व्यवहार जन-जाति समूहों के बीच वाले व्यवहार से ज्यादा उलझनदार होता है जबकि शहरी व्यवहार के मुकाबले ग्राम व्यवहार अधिक सरल होता है।

सत्ता की भाषा

पत्रकारिता से मीडिया में परिवर्तित हुआ यह परिदृश्य क्यों अविश्वसनीय हुआ, इसकी पड़ताल करना जरूरी लगता है। इस क्रम में सबसे पहले मुँति माध्यम की चर्चा करना जरूरी लगता है। भारत में पत्रकारिता का श्रीगणेश मुँति माध्यम से ही हुआ है, सो इसकी चर्चा पहले जरूरी है। पराधीन भारत से स्वतंत्र भारत तक मुँति माध्यमों के जरिये पत्रकारिता जीवित रही और वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही। अखबारों में नाम प्रकाशित होने का भी अपना गौरव और शर्म की बात होती थी। किसी अच्छे कार्यों के सिलसिले में किसी सडॉा-शासक या प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम का उल्लेख हो जाए तो उसके लिए शान की बात होती थी। वह गौरव का अनुभव करता था किन्तु यही नाम जब किसी ऐसे मामले में प्रकाशित हो जाए तो उसका सिर शर्म से झुक जाता था। यही कारण है कि पत्रकारिता की तालीम के समय हमें यह सबक दिया गया कि किसी व्यक्ति की मानहानि को

ध्यान में रखकर खबर लिखो। तुम्हारे सही या गलत लिखे को पढ़ने वालों की तादाद सैकड़ों में होगी जिससे गलत लिख जाने पर उसकी मानहानि भी उसी स्तर की होगी किन्तु जब गलती पर भूल सुधार छपेगा तो संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी किन्तु उसका खोया हुआ आत्मसम्मान किस तरह लौटा पाओगे। पत्रकारिता की यह जिम्मेदारी उसकी प्रतिष्ठा होती थी। पत्रकारिता पर भरोसे का यह एक बड़ा सबब था लेकिन आजादी के साल जैसे-जैसे गुजरते गए पत्रकारिता के स्थान पर पीत-पत्रकारिता ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। सही मायने में हम जिस टारगेटेड जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, उसकी नींव 70-80 के दशक में ही पड़ गयी थी।

सडॉा-शासकों में पत्रकारिता के प्रति असहिष्णुता का पहला दृश्य आपातकाल के समय देखने को मिला। अराजक और तानाशाही का बेमिसाल दौर था जब पत्रकारिता पर नकेल डालने की स्वतंत्र भारत में पहली शुरुआत हुई थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की जो हिमाकत अंग्रेज शासक भी नहीं कर पाये थे, वह मंजर हमने अपने ही आजाद मुल्क में देखा था।

इसके बावजूद भी गर्व से कहा जा सकता है कि इस तानाशाही में भी पत्रकारिता ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ना तो दुहाई दी और ना ही रिहाई की मांग की। आत्मस्वाभिमान के साथ पत्रकारिता के उस तेवर से सत्ता-शासन का परिचय कराया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अखबारों ने कोरे पन्ने छोड़ कर चेता दिया कि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं, आत्मस्वाभिमान है। हालांकि यही वह दौर है जब कुछ टूटे और सहमे से लोगों ने आपातकाल के दरम्यान सडॉा-शासन के समक्ष घुटने टेक दिए। पत्रकारिता का यह चरित्र सही मायने में पत्रकारिता का नहीं था बल्कि पत्र स्वामियों का था जो व्यापार करते थे और नफा कमाना जिनका एकमात्र लक्ष्य था। हालांकि इनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी लेकिन पत्रकारिता की नींव हिलाने के लिए यह कम नहीं था। ऐसे वक्त पर हाशिये पर बैठे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की टिप्पणी थी कि- सत्ता-शासन ने कहा झुको तो लेट गए और घुटनों के बल चलने लगे। आपातकाल के समाप्त होते ही पत्रकारिता दो दिशाओं में बंट गई थी। एक सत्ता-शासक का चारण बन चुका था तो दूसरा बड़ा वर्ग आत्मस्वाभिमान से वैसे ही खड़ा था।

संवाद की भाषा

जनता से संवाद स्थापित कर उसमें जनचेतना लाने के लिए इस भाषा का उपयोग बुद्धिमता से किया जाना चाहिए। क्योंकि संवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सहजता से समझ में आ सके। जो संदेश जनता तक पहुँचाना है वह वैसे ही रूप में ग्रहण हो जैसा पत्रकारिता के माध्यम से पहुँचाना है। यही संवाद की सच्ची भाषा होती है। यह एक भ्रम है कि अंग्रेजी पत्रकारिता हिन्दी पत्रकारिता के मुकाबले अधिक शोधपरक और तथ्यपूर्ण होती है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में संघर्ष शुरू हो गया। आज आवश्यकता है कि इस मत भिन्नता का त्याग करते हुए एक ऐसे मंच की स्थापना की जाए, जो सार्वजनिक तौर पर भारतीय भाषाओं की बेहतरी के लिए काम करें। मगर प्रशासन हमारे साथ संवाद भारतीय भाषाओं में नहीं करता। इस दृष्टि से क्या हमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कई शोधों से यह बात स्थापित हो चुकी है कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, साथ ही अंग्रेजी उतनी ही अवैज्ञानिक। हमें यह सोचना

होगा कि किस ओर जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले सात समाचार पत्रों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में पाया गया कि एक महीने में 2000 अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हिन्दी के समाचार पत्रों द्वारा किया गया।

रेडियो, टेलीविजन, सम्पादकीय आदि में निहित संवाद सुनाये व प्रस्तुत किये जाते हैं। बाजार भावों का देने की परम्परा तो राजस्थान में लगभग सौ वर्ष पुरानी हो चुकी है। जयपुर गजट और सज्जन कीर्ति सुधाकर जैसे रियासती राजपत्र भी खाद्यान्नों के भावों के समाचार प्रकाशित करते थे, किन्तु विकासशील अर्थव्यवस्था से इस प्रकार के समाचार विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रकाशित होने लगे। इन समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने स्थानीय जौहरियों के साथ सक्रिय सम्पर्क स्थापित कर और उनके साथ वैचारिक आदान प्रदान करके उत्तम कोटि की टिप्पणियां और समीक्षाएं प्रकाशित करने का दायित्व सफलतापूर्वक वहन किया।

खेलकूद सम्बन्धी संवाद—

खेल पत्रकारिता (स्पोर्ट्स जर्नलिज्म) लेखन का एक रूप है जो खेल के विषय और घटनाओं पर रिपोर्ट करता है। यह खेल के घटनाओं और एथलीटों के बारे में लिखने का अभ्यास और व्यवसाय है। खेल पत्रकारिता मीडिया संगठन के मुख्य वर्गों में से एक है। कुछ समय पहले, इस रूप के पत्रकारिता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन अब इसकी गति लगातार बढ़ रही है। राजस्थान निर्माण के बाद प्रदेश में खेलकूदों का भी अच्छा विकास हुआ। देशी और विदेशी दोनों प्रकार के खेलों— कुश्ती, कबड्डी, तैराकी, खो खो, फुटबाल, बालीबाल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी आदि में यहां के खिलाड़ियों ने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने असाधारण क्रीड़ा कौशल द्वारा नये कीर्तिमान स्थापित किये। परिणामतः प्रदेश के समाचारों ने खेलकूद के समाचारों को भी पर्याप्त महत्व देना प्रारम्भ कर दिया। पिछले दो दशकों में राष्ट्रदूत, नवज्योति, न्याय, अधिकार और राजस्थान पत्रिका आदि दैनिकों ने खेल जगत के समाचार प्रकाशित कर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का उत्साहवर्द्धन किया। श्री एस, एल मथुरिया राजस्थान में खेल पत्रकारिता के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। प्रारम्भ में उन्हीं की प्रेरणा से राजस्थान पत्रिका ने विशेष प्रयत्न किये। पत्रिका ने न केवल खेल जगत की सामायिक गतिविधियों को ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया, अपितु उपेक्षित खिलाड़ियों की ओर खेलकूद परिषद, सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में भी स्तुत्य कार्य किया। उसकी रिपोर्टों के आधार पर अनेक पुराने और अर्थ संकट के दौर से गुजरने वाले खिलाड़ियों की सहायता संभव हुई।

मिश्रित भाषा

इसमें भाषा का स्वरूप मिला-जुला होता है यानि कि कई भाषाओं के शब्दों का सामंजस्य इसमें होता है। वर्तमान में इस भाषा में अंग्रेजी, अरबी, उर्दू आदि भाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। आजादी के बाद हिंदी क्षेत्र में हुए समाजिक-आर्थिक परिवर्तन, संचार तकनीक का विकास, ग्रामीण इलाकों, कस्बों से पलायन और शहरों में पुर्नवास आदि ने हिंदी भाषा के स्वरूप में आमूलचूल बदलाव लेकर आया। आधुनिक हिंदी साहित्य इस बात की तस्दीक करता है। हालांकि हिंदी पत्रकारिता की भाषा में एक बड़ा बदलाव शुरुआती दशकों में नहीं बल्कि 80-90 के दशक में देखने को मिलता है जब राजें माथुर, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार नई दुनिया- नवभारत टाइम्स और जनसँगा जैसे अखबारों के संपादक बने। इससे पहले रविवार और धर्मयुग जैसी चर्चित पत्रिकाएँ

सुरें प्रताप सिंह और धर्मवीर भारती जैसे कुशल संपादक के नेतृत्व में भाषा को एक तेवर देने में लगे थे। हालांकि ये साप्ताहिक प्रकाशित होते थे।

संपादकीय लेख

पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुँचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है। उसमें संपादकीय, लेख, कार्टून और फोटों भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं। उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख हैं।

समाचार पत्र की रीति नीति तथा किसी समस्या विशेष पर उसके दृष्टिकोण को समझने की दृष्टि से किसी भी समाचार पत्र का संपादकीय अथवा अग्रलेख बहुत महत्वपूर्ण होता है। सम्पादकीय के विषय राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कुछ भी हो सकते हैं। अखबार में संपादक का यही वह मंच है, जिसके माध्यम से वह अपनी राय किसी विषय पर प्रकट कर सकता है और अपने निजी दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण कर सकता है। वह गम्भीरतापूर्वक अपनी मान्यताओं, धारणाओं और विचारधारा को व्यक्त करते हुए किसी भी विषय का खंडन अथवा मंडन कर सकता है और आवश्यकतानुसार सुझाव दे सकता है। इस कालखण्ड में राजस्थान के सभी पत्रों में सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुए, किन्तु उनके पाठकों की संख्या बहुत कम रही। परीक्षण के रूप में किये गये एक सर्वे के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के सौ पाठकों से सार्वजनिक वाचनालयों और सूचना केन्द्रों में साक्षात्कार करने पर यह परिणाम सामने आया कि उनमें से केवल ग्यारह व्यक्ति संपादकीय लेख पढ़ना पसन्द करते थे। इनमें भी चार वे विद्यार्थी थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे और इस अभिप्राय से संपादकीय पढ़ते थे कि सामायिक विषयों पर परीक्षा में आने वाले निबन्धों के लेखन में उससे सहायता मिलेगी। इसके प्रमुख कारण पाठकों का संपादन या पत्र विशेष के प्रति पूर्वाग्रह, अन्य रुचिकर सामग्री का बहुल्य, समयभाव आदि माने जा सकते हैं। फिर भी सम्पादकीय या अग्रलेख लिखने की परम्परा का निर्वाह राजस्थान में बराबर हो रहा है।

भाषा और बिम्ब

बिम्ब काव्याभिव्यंजना के प्रमुख तर्कों में से एक है। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि समकालीन भारतीय काव्यशास्त्र में 'बिम्ब' संबंधी समस्त चिन्तन आधुनिक पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव की ही एक महडवपूर्ण देन है। हमारे यहां 'बिम्ब' पाश्चात्य शब्द 'इमेज' के पर्याय के रूप में गृहीत हुआ है। संसार की विभिन्न भाषाओं का साहित्य सदैव बिम्ब प्रधान ही रहा है। बिम्ब के माध्यम से ही पत्रकार अपने भाव एवं विचार को श्रोता एवं पाठक तक सम्प्रेषित करता है। कविता में रागतत्व का सन्निवेश किसी न किसी रूप में रहता ही है। कवि के ऐन्द्रिय संवेदनों की राग-सम्पृक्त अभिव्यक्ति ही बिम्ब का रूप ग्रहण करती है। बिम्ब का जन्म कवि की अनुभूतियों से

होता है। निश्चय ही बिम्ब जीवन की जटिलता को व्यक्त करने के साधन हैं। इन्हें मन का विशुद्ध सृजन भी कहा गया है।

जिस क्षेत्र की जनता हो उसे वहाँ की प्रादेशिक भाषा में पत्र मिलता साथ ही उदाहरण अर्थात् बिम्ब (फोटो) सहित समझाना है। नाना प्रकार के समाचारों से पाठक को अवगत कराने के बाद उसकी मानसिकता क्षुधा को शांत करने के लिए समाचार पत्रों द्वारा अपने दीर्घ अनुभव से कुछ विशेष प्रकार की समाचार सामग्री का भी स्वरूप विकास किया गया। इस प्रकार की सामग्री में फीचर या विशेष लेख तथा हास्य व्यंग्य के स्तम्भ प्रमुख थे। राजस्थान के समाचार पत्रों में अभी हाल तक बहुत अच्छे स्तर के फीचर दृष्टिगोचर नहीं होते थे। इसका एक कारण जहाँ अच्छे फीचर लेखकों का अभाव है, वहीं दूसरी ओर संदर्भ सामग्री की सुविधा या घटना स्थलों पर जाकर अध्ययन करने अथवा व्यक्ति विशेष से सम्पर्क करने के लिए यात्रा व्यय वहन करने की सामर्थ्य अभाव भी इसका मूल कारण था। फिर भी फीचर लेखन की दिशा में उत्साहजनक प्रयत्न होते रहे हैं।

निष्कर्ष

आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती हिन्दी पत्रकारिता की भाषा है। इसे लेकर कोई मापदण्ड तय नहीं हो पाया है बल्कि कोई प्रारूप भी नहीं है। जिसे जो मन में आया वह करता जा रहा है। जल्द से जल्द और पहले पहल खबर लोगों तक पहुंचने की होड़ में लगे खबरिया चैनलों में कई बार भाषा के साथ खिलवाड़ होते देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि अनुशासनहीन भाषा की संरचना विकसित हो गयी है। खबर के लिए सुबह अखबार के इंतजार को इंटरनेट मीडिया और 24 घंटे खबरिया चैनल ने खत्म कर दिया है। चंद मिनट में घटित घटना लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में भाषा की गंभीरता का सवाल सामने आ जाता है। हालांकि, इलैक्ट्रानिक मीडिया में आम बोलचाल की भाषा को अपनाया जाता है। इसके पीछे तर्क साफ है कि लोगों को तुरंत दिखाया व सुनाया जाता है यहाँ अखबार की तरह आराम से खबर को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए रेडियो और टी.वी. की भाषा सहज, सरल और बोलचाल की भाषा को अपनाया जाता है। कई अखबारों ने भी इस प्रारूप को अपनाया है खासकर हिन्दी के पाठकों को ध्यान में रख कर भाषा का प्रयोग होने लगा है। इसके पीछे सोच यह है कि हिन्दी के पाठक हर वर्ग से हैं। चाय या पान की दुकान हो या ढाबा अशिक्षित या कम शिक्षित यहाँ रखे अखबार को उलट-पुलट कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच क्षेत्रीय बोलियों का भी समावेश हुआ है। राष्ट्रीय से राजकीय और जिला यानी क्षेत्रीय स्तर पर अखबारों के प्रकाशन से भाषा में बदलाव आया है। क्षेत्रीय और जिले तक सिमटे मीडिया में वहाँ की बोलियों को स्थान मिल रहा है ताकि पाठक अपने आपको जुड़ा महसूस करें। हिन्दी पत्रकारिता ने आज तकनीक विकास के साथ-साथ भाषायी विकास भी कर लिया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- कुमार, आनन्द, हिन्दी पत्रकारिता का बदलदता स्वरूप, आमंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
- कोचर, कन्हैयालाल, रियासती राजपूताना से जनतांत्रिक राजस्थान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2002
- चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद, हिन्दी पत्रकारिता के कीर्तिमान, साहित्य संगम, इलाहाबाद, 1994
- जैन, रमेश, हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, बोहरा प्रकाशन, संस्करण, 2021

- जोशी, करुणा, जनजातीय क्षेत्र में स्वतंत्रता आन्दोलन, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2006
- दीक्षित, डॉ. सूर्य प्रसाद, भारतीय पत्रकारिता और जनसंचार, विवेक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1991
- पंकज, डॉ. विष्णु, भाषायी पत्रकारिता और जनसंचार (राजस्थान के संदर्भ), विवेक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1991
- पिलानिया, डॉ. ज्ञान प्रकाश, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधे—सरदार हरलाल सिंह, राजस्थान स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, जयपुर, 2001
- पाण्डेय रत्नाकर, इन्दु बहादुर सिंह, रामव्यास, भारतीय पत्रकारिता, मणिमय प्रकाशन, दिल्ली, 1981
- भानावत, डॉ. संजीव, हिन्दी जैन पत्रकारिता : एक शताब्दी, श्री अखिल भारतीय जैन विद्वद् परिषद् एवं सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर, 1990
- भारतीय, डॉ. भवानीलाल, आर्य समाज के पत्र और पत्रकार, परोपकारिणी सभा, अजमेर, 1983